

न्यायालय कलेक्टर जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)
प्रकरण क्रमांक २/अ-19(3)/2019-20

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग जिला टीकमगढ़(म.प्र.)
आवेदक/प्रथमपक्ष

वनाम

मध्यप्रदेश शासन राजस्व जिला टीकमगढ़ म.प्र.
अनावेदक/द्वितीय पक्ष

आदेश

(पारित दिनांक 24/8/2019)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, जिला टीकमगढ़ अंतर्गत सिंचाई विभाग टीकमगढ़ द्वारा संचालित सतधारा तालाब योजना के लिये भूमि अधिग्रहण का कार्य किया जा रहा है। इस योजना के तहत निजी भूमियों के अलावा अन्य शासकीय भूमि के साथ वन विभाग की भूमि कम्पार्टमेंट पी.एफ. 242, एवं 243, वनक्षेत्र लिधौरा जंगल, रकवा 39.00 है। तहसील लिधौरा, जिला टीकमगढ़ म.प्र. की भूमि भी प्रभावित हो रही है।

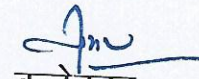
उपरोक्त संबंध में तहसीलदार लिधौरा एवं अनुविभागीय अधिकारी जतारा द्वारा पूर्व में सतधारा तालाब योजना अंतर्गत आने वाले डूब क्षेत्र में वन विभाग की प्रश्नगत भूमि के बदले राजस्व विभाग की भूमि स्थित ग्राम लिधौरा उगड, की भूमि ख0नं0 227, कुल रकवा 24.409 है0 में से 4.000 है, एवं ख0नं0 228 कुल रकवा 61.673 है0 में से 33.000 है0 और ख0नं0 229 कुल रकवा 9.680 है में से 3.000 है0 कुल रकवा 40.000 है0 स्थित ग्राम लिधौरा उगड तहसील लिधौरा जिला टीकमगढ़ की हस्तांतरित किये जाने का आदेश इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 26/अ-19(3)/2017-18 आदेश दिनांक 23/3/2018 के माध्यम से वन विभाग को भूमि दी गई थी।

वनमंडलाधिकारी क्षेत्रीय वन मंडल टीकमगढ़ द्वारा पत्र क्रमांक 622/मा.चि./2019, दिनांक 28/2/2019 तथा पत्र क्रमांक 765, दिनांक 15/4/2019 के माध्यम से उपरोक्त प्रश्नगत भूमि वन विभाग हेतु उपयुक्त नहीं होने के कारण ग्राम गुजरायतन उगड स्थित भूमि ख0नं0 78/1, रकवा 18.313 है, ख0नं0 82, रकवा 1.052 है. ख0नं0 83, रकवा 0.085 है. एवं ख0नं0 113/3, रकवा 5.617 है. कुल रकवा 25.067 है0 एवं ग्राम कडवाहा स्थित भूमि ख0नं0 360/1, रकवा 6.099 है, ख0नं0 363/3/11, रकवा 7.890 है0 एवं ख0नं0 362, रकवा 0.180 है0 भूमि कुल रकवा 14.169 है. एकत्र कुल रकवा 39.236 है0 तहसील वल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ स्थित भूमि के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे, जिसके संबंध में नायव तहसीलदार डारगुंवा तहसील वल्देवगढ़ एवं अनुविभागीय अधिकारी वल्देवगढ़ से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया।

नायव तहसीलदार डारगुंवा एवं अनुविभागीय अधिकारी वल्देवगढ़ द्वारा उपरोक्त भूमि वन विभाग को हस्तांतरित करने हेतु अनुसंशा सहित प्रकरण सम्पूर्ण कार्यवाही पश्चात प्रस्तुत किया गया। आम इशतहार जारी किया गया कोई आपत्ति समयावधि में प्राप्त नहीं है।

अतः तहसीलदार लिधौरा एवं अनुविभागीय अधिकारी जतारा द्वारा सतधारा तालाब योजना अंतर्गत आने वाले डूब क्षेत्र में वन विभाग की प्रश्नगत भूमि के बदले राजस्व विभाग की भूमि स्थित ग्राम लिधौरा उगड, की भूमि ख०नं० 227, कुल रकवा 24.409 है० में से 4.000 है०, एवं ख०नं० 228 कुल रकवा 61.673 है० में से 33.000 है० और ख०नं० 229 कुल रकवा 9.680 है० में से 3.000 है० कुल रकवा 40.000 है० स्थित ग्राम लिधौरा उगड तहसील लिधौरा जिला टीकमगढ की भूमि वापिस राजस्व विभाग में वैधित करते हुये ग्राम गुजरायतन उगड एवं ग्राम कडवाहा तहसील वल्देवगढ स्थित भूमि ख०नं० 78/1, रकवा 18.313 है०, ख०नं० 82, रकवा 1.052 है०, ख०नं० 83, रकवा 0.085 है०, एवं ख०नं० 113/3, रकवा 5.617 है०, कुल रकवा 25.067 है० एवं ग्राम कडवाहा स्थित भूमि ख०नं० 360/1, रकवा 6.099 है०, ख०नं० 363/3/11, रकवा 7.890 है० एवं ख०नं० 362, रकवा 0.180 है० भूमि कुल रकवा 14.169 है०, एकत्र कुल रकवा 39.236 है० तहसील वल्देवगढ जिला टीकमगढ की भूमि म०प्र०शासन वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार लिधौरा/वल्देवगढ आदेश का अमल राजस्व अभिलेख में करें। शासन की योजना सतधारा तालाब के डूब क्षेत्र में आने वाली वन भूमि को म०प्र०शासन जलसंसाधन विभाग को विधिवत हस्तांतरित की कार्यवाही कर राजस्व अभिलेख में अमल की जावे, तथा कार्यवाही का पंचनामा मय संशोधित अभिलेख इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जावे।

आदेश पारित/उद्घोषित।


कलेक्टर

जिला-टीकमगढ (म.प्र.)